

बिहार में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में अभी तक कई ऐसी संस्थाएँ हैं, जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों का सही डाटा ही उपलब्ध नहीं है। साथ ही वैसे कर्मियों का नबिंधन भी नहीं हो रहा है। इसी कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है।
- इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। साथ ही, विभाग द्वारा पारा मेडिकल नियमावली भी तैयार की जा रही है।
- स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभी तक राज्य में एक्स-रे तकनीशियन, रेडियोलॉजी असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, मेडिकल लैबोरेटरी असिस्टेंट, ऑफ्थैल्मिक असिस्टेंट, ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट, सीटी स्कैन तकनीशियन, इसीजी असिस्टेंट, इसीजी तकनीशियन, डायलिसिस टेक्नशियन, एमआरआई टेक्नशियन, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ऑकुपेशनल थरिपी, स्पीच थरिपी, ड्रेसर, ऑडियोलॉजी असिस्टेंट जैसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त वदियार्थियों के नबिंधन के लिये कोई वैधानिक संस्था नहीं है।
- ऐसे में बना रजिस्ट्रेशन सरकार के पास यह सूचना ही नहीं है कि राज्य में किस क्षेत्र में कितने वदियार्थियों के पास क्या डिग्री है।
- नबिंधन के समय ही पारा मेडिकल करने वाले वदियार्थियों के वैध प्रमाणपत्रों की जाँच भी हो जाएगी। इससे फर्जी डिग्री लेने वाले भी पकड़ में आ जाएंगे।
- सूत्रों के मुताबिक नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल व मेडिकल काउंसिल के जैसे ही पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया जा रहा है। विभाग में इस काउंसिल के गठन की तैयारी पूरी की जा चुका है। जल्द ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी।